288/c
290/c

दिल्ली राजपत्र भाग चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
खाद्य सुरक्षा विभाग
ए–20, लारेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–35

संख्या : एफ 1.(3)/डी.ओ.–1/खा. सु. वि./2012/ 5185-5203 दिनांक : 11-9-12

'अधिसूचना'

जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम, 34) की, धारा 26 के साथ पठित, धारा 92 की उप–धारा (2) के खण्ड (1) के द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध एवं बिक्री पर प्रतिबंध) विनियमन, 2011 की विनियमन 2.3.4 उन खाद्य पदार्थो को निषिद्ध करती है, जिनमें तम्बाकू और /या निकोटिन संघटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं ।

और जबकि, गुटका (किसी भी नाम से प्रचलित) तथा तम्बाकू और /या निकोटिन युक्त पान मसाला एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसमें आज कल तम्बाकू और /या निकोटिन काफी मात्रा में संघटक के रूप मे प्रयुक्त होते हैं ।

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तम्बाकू और/या निकोटिन युक्त गुटका और पान मसाला का, ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनमें तम्बाकू और/ या निकोटिन संघटक के रूप में काफी मात्रा में प्रयुक्त होता है, होने के कारण, उत्पादन, भण्डारण, बिक्री, परिवाहन, प्रदर्शन या वितरण निषिद्ध करना समीचीन है ।

अब इसलिये, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध एवं बिक्री पर प्रतिबंध) विनियमन, 2011 की विनियमन 2.3.4 के अनुसरण में, गुटका के किसी भी नाम से एवं तम्बाकू और/या निकोटिन युक्त पान मसाला के किसी भी नाम

के० बर्मन